RCMS – SAARA

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

उद्देश्य :

प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवनयापन करने का अधिकार सुनिश्चित करना।

योजना के मुख्य बिन्दु

- आबादी भूमि में पात्र परिवार के पति और पत्नि दोनो के संयुक्त नाम से भू-खण्ड का मालिकाना हक प्रदाय किया जाना
- बिना प्रीमियम भुगतान के नि:शुल्क भू-खण्ड का आवंटन
- आवंटित भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल-60 वर्ग मीटर
- आवश्यकता होने पर कलेक्टर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अध्यधीन आबादी घोषित कर सकते है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

समयबद्ध कार्यक्रम

नियत दिनांक	गतिविधि
30 जून 2022	आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि
16 अगस्त 2022	प्राप्त आवेदन पत्रों की पटवारी व ग्राम सचिव द्वारा जांच (SAARA App पर) व जॉच दल की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित किया जाना (SAARA App पर) की अंतिम तिथि
15 सितम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं आरसीएमएस पर प्रकरण का पंजीयन की अंतिम तिथि
30 सितम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा ईश्तहार प्रकाशन की अंतिम तिथि
30 नवम्बर 2022	प्राप्त दावा-आपत्ति के निपटान व पात्र परिवारों की सूची के पुनरीक्षण की अंतिम तिथि
15 दिसम्बर 2022	ग्राम सभा को अभिमत हेतु सूची प्रेषित किया जाना
15 से 30 दिसम्बर 2022	ग्राम सभा का सम्मिलन व आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्राम सभा का अभिमत
15 दिसम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि की उपलब्धता का आंकलन और यदि आवश्यक हो तो आबादी घोषित करवाया जाने की अंतिम तिथि
माह जनवरी 2023	भू-अधिकार पत्र का वितरण

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

समयबद्ध कार्यक्रम

- पूर्व में जारी समयबद्ध कार्यक्रम को परिवर्तित किया गया।
- *सितम्बर-2022 तक पट्टा वितरण* की स्थिति को प्राप्त करना।
- नवीन आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये पुनः कार्यक्रम जारी

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

PRC/004/2022-Grameen-PRC/7760 dated 18.08.2022 समयबद्ध कार्यक्रम

नियत दिनांक	गतिविधि
30 सितम्बर 2022	आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि
10 अक्टूबर 2022	प्राप्त आवेदन पत्रों की पटवारी व ग्राम सचिव द्वारा जांच (SAARA App पर) व जॉच दल की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित किया जाना (SAARA App पर) की अंतिम तिथि
25 अक्टूबर 2022	तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं आरसीएमएस पर प्रकरण का पंजीयन की अंतिम तिथि
16 नवम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा ईश्तहार प्रकाशन की अंतिम तिथि
30 नवम्बर 2022	प्राप्त दावा-आपत्ति के निपटान व पात्र परिवारों की सूची के पुनरीक्षण की अंतिम तिथि
15 दिसम्बर 2022	ग्राम सभा को अभिमत हेतु सूची प्रेषित किया जाना
15 से 30 दिसम्बर 2022	ग्राम सभा का सम्मिलन व आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्राम सभा का अभिमत
15 दिसम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि की उपलब्धता का आंकलन और यदि आवश्यक हो तो आबादी घोषित करवाया जाने की अंतिम तिथि
माह जनवरी 2023	भू-अधिकार पत्र का वितरण

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

परिवार :-

पति-पत्नि और उनके अविवाहित पुत्र/ पुत्री

टीपः- आवेदन करने के लिये वही आवेदक परिवार पात्र होंगें जो संबंधित ग्राम के निवासी हों और अनर्हतायें नहीं रखते हों

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

<u>पात्रता की शर्तें</u>:-

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र नही होंगे-

- आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है।
- आवेदक परिवार के पास 5 एकड से अधिक भूमि है।
- आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (P.D.S) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नही करता है।
- आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है।
- आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है।
- आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, दिनांक 01 जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नही है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

आवेदन एवं जांच की प्रक्रिया :-

- आवेदक द्वारा प्ररूप-क में आनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- आवेदन पटवारी के SAARA एप पर दिखाई देगा।
- पटवारी व ग्राम सचिव आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन प्ररूप-ख में तैयार करेंगे।
- संयुक्त जांच प्रतिवेदन तहसीलदार को SAARA एप के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
- तहसीलदार एक ग्राम के लिए मद अ-66 में एक प्रकरण पंजीबद्ध करेगा। आवश्यकता होने पर एक ग्राम के एकाधिक प्रकरण तैयार किये जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

<u>आवेदन एवं जांच की प्रक्रिया</u> :-

- तहसीलदार प्राप्त जांच प्रतिवेदन का प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र/ अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा
- पात्र/ अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन कर दावा-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगें।
- सूचना प्रकाशन की समयावधि 10 दिवस से कम की नहीं होगी।
- सूचना का प्रकाशन ग्राम के चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों व ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा कर किया जायेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

<u>आवेदन एवं जांच की प्रक्रिया</u> :-

- तहसीलदार द्वारा दावा- आपत्ति का परीक्षण और पात्र/ अपात्र आवेदकों की सूची तैयार किया जाना।
- पात्र/ अपात्र आवेदकों की सूची का ग्राम सभा के अभिमत के लिये प्रेषित करना।
- ग्राम सभा के अभिमत अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र आवेदकों को भू-खण्ड का आवंटन

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

आवेदन प्रस्तुत किया जाना :- आवेदक मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिये तहसीलदार के समक्ष ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए आर.सी.एम.एस. पोर्टल के होम पेज पर Main Menu में Sub Menu आवेदन में जाकर, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेतु आवेदन का चयन कर या SAARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदक को इस माड्यूल में आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की सुविधा दी गई है। आवेदक स्वयं ऑनलाईन अथवा लोक सेवा केन्द्र या एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन कर सकेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

- **आवेदन का पटवारी के SAARA लागिन पर प्रदर्शित होना** :- आवेदक के द्वारा आर.सी.एम.एस. पोर्टल या SAARA पोर्टल के माध्यम से प्ररूप 'क' में आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पटवारी के SAARA लागिन पर प्रदर्शित होगा। पटवारी एवं ग्राम सचिव का संयुक्त जांच दल, आवेदन पत्र की जांच कर जांच रिपोर्ट प्ररूप 'ख' में तहसीलदार के SAARA Login पर आनलाइन प्रेषित करेंगे।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

आबादी भूमि का आंकलन :- तहसीलदार प्ररूप 'ख' में पटवारी और सचिव के संयुक्त जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आबादी भूमि की उपलब्धता/ आवश्यकता का आंकलन कर सकेगा। इसके लिए तहसीलदार के SAARA लागिन पर उपलब्ध आबादी भूमि/ आबादी भूमि की आवश्यकता की जानकारी भरे जाने की सुविधा प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने के पूर्व उपलब्ध कराई गई है। यदि तहसीलदार यह पाता है कि अतिरिक्त आबादी घोषित की जाना है तो वह पृथक से संहिता की धारा 237 के तहत प्रकरण तैयार कर कलेक्टर को स्वीकृति के लिए प्रेषित करेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना :-

तहसीलदार के SAARA लागिन पर पटवारी द्वारा संयुक्त जांच कर प्रेषित आवेदन पत्र प्रदर्शित होने लगेंगें। तहसीलदार एक ग्राम के जितने भी आवेदन पत्र संयुक्त जांच उपरांत प्राप्त हो गए हैं, उनका प्रकरण RCMS में दर्ज कर सकेगा। तहसीलदार एक ग्राम के सभी आवेदन पत्रों का एक प्रकरण दर्ज कर सकता है । इसके लिए तहसीलदार अपने SAARA लागिन पर प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन कर Create Case in RCMS बटन पर क्लिक करने पर उस ग्राम का प्रकरण मद अ-66 में दर्ज हो जायेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्रों का प्रारंभिक परीक्षण :-

पटवारी की SAARA लागिन से जांचोपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों का तहसीलदार के द्वारा अपने SAARA लागिन पर प्रारंभिक परीक्षण किया जावेगा। तहसीलदार, पटवारी और ग्राम सचिव के संयुक्त जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार कर सकेगा। तहसीलदार द्वारा, यथा संशोधित या अपरिवर्तित पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची पीडीएफ रूप में RCMS पर प्रेषित की जावेगी।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

सूची का प्रकाशन :- RCMS पर प्रकरण पंजीबद्ध हो जाने और तहसीलदार के द्वारा पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची का प्रारंभिक परीक्षण किए जाने के उपरांत, पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन किया जावेगा। पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची के प्रकाशन की समयावधि 10 दिवस से कम की नहीं होगी। सूची का प्रकाशन संबंधित ग्राम के चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों और ग्राम पंचायत कार्यालय पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

दावा-आपत्ति या सुझाव प्राप्त किया जाना :-

पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची के प्रकाशन उपरांत ग्राम वासियों से दावा-आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किए जावेंगे। दावा-आपत्ति या सुझाव पटवारी या तहसीलदार को ऑफलाईन प्राप्त होंगे, जिन्हें रीडर अपने लागिन से RCMS Portal पर अपलोड कर सकेगा। प्राप्त दावा-आपत्तियों के परीक्षण के लिए प्रकरण पटवारी के SAARA लागिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। पटवारी प्राप्त दावा-आपत्ति का परीक्षण कर अपना अभिमत SAARA पोर्टल के माध्यम से तहसीलदार को प्रेषित कर सकेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

दावा-आपत्ति का परीक्षण एवं सूची में परिवर्तन :- दावा आपत्ति के संबंध में पटवारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन या ऐसी आवश्यक जांच कार्यवाही जैसा कि तहसीलदार आवश्यक समझें किए जाने के उपरांत यदि तहसीलदार यह पाता है कि पात्र/अपात्र आवेदकों की प्रारंभिक सूची में परिवर्तन किया जाना है, तो वह अपने SAARA लागिन से ऐसा परिवर्तन कर सकेगा। संशोधित या अपरिवर्तित पात्र/ अपात्र आवेदकों की सूची को तहसीलदार पुनः अपने SAARA लागिन से पी.डी.एफ. के माध्यम से RCMS में प्रेषित कर सकेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

ग्राम सभा का अभिमत :- तहसीलदार पुनः परीक्षण उपरांत तैयार पात्र/ अपात्र आवेदकों की सूची को ग्राम सभा के अभिमत के लिए प्रेषित करेगा, साथ ही साथ सूची पटवारी के SAARA Web ID में भी दिखाई देगी, जहाँ से पटवारी इसका प्रिंट लेकर ग्राम सभा के समक्ष रख सकेगा। ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त होने पर रीडर अपने RCMS Login से उसे अपलोड करेगा। तहसीलदार ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर यदि पात्र/ अपात्र आवेदकों की सूची में परिवर्तन करना चाहता है तो SAARA लागिन से संबंधित प्रकरण के आवेदक का चयन कर आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा। परिवर्तित या अपरिवर्तित सूची जैसी भी स्थिति हो, को तहसीलदार आदेश के लिए RCMS पोर्टल पर भेजेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया जाना :- तहसीलदार ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत पात्र आवेदकों को भू-खण्ड आवंटन हेतु RCMS पर आदेश पारित करेगा। प्रत्येक आवंटित भू-खण्ड के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निधारण) नियम 2018 के अंतर्गत आवंटित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर 0.50 रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से भू-राजस्व का निर्धारण करवायेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

भूमिस्वामी अधिकार पत्र तैयार किया जाना :-

पात्र आवेदकों की सूची पटवारी के SAARA लागिन पर संबंधित प्रकरण क्रमांक के साथ प्रदर्शित होगी। पटवारी पात्र आवेदकों को पति एवं पत्नि के संयुक्त नाम से भूमिस्वामी अधिकार पत्र प्ररूप 'ग' में तैयार कर तहसीलदार को हस्ताक्षर के लिए सौंपेगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
वर्क फ्लो

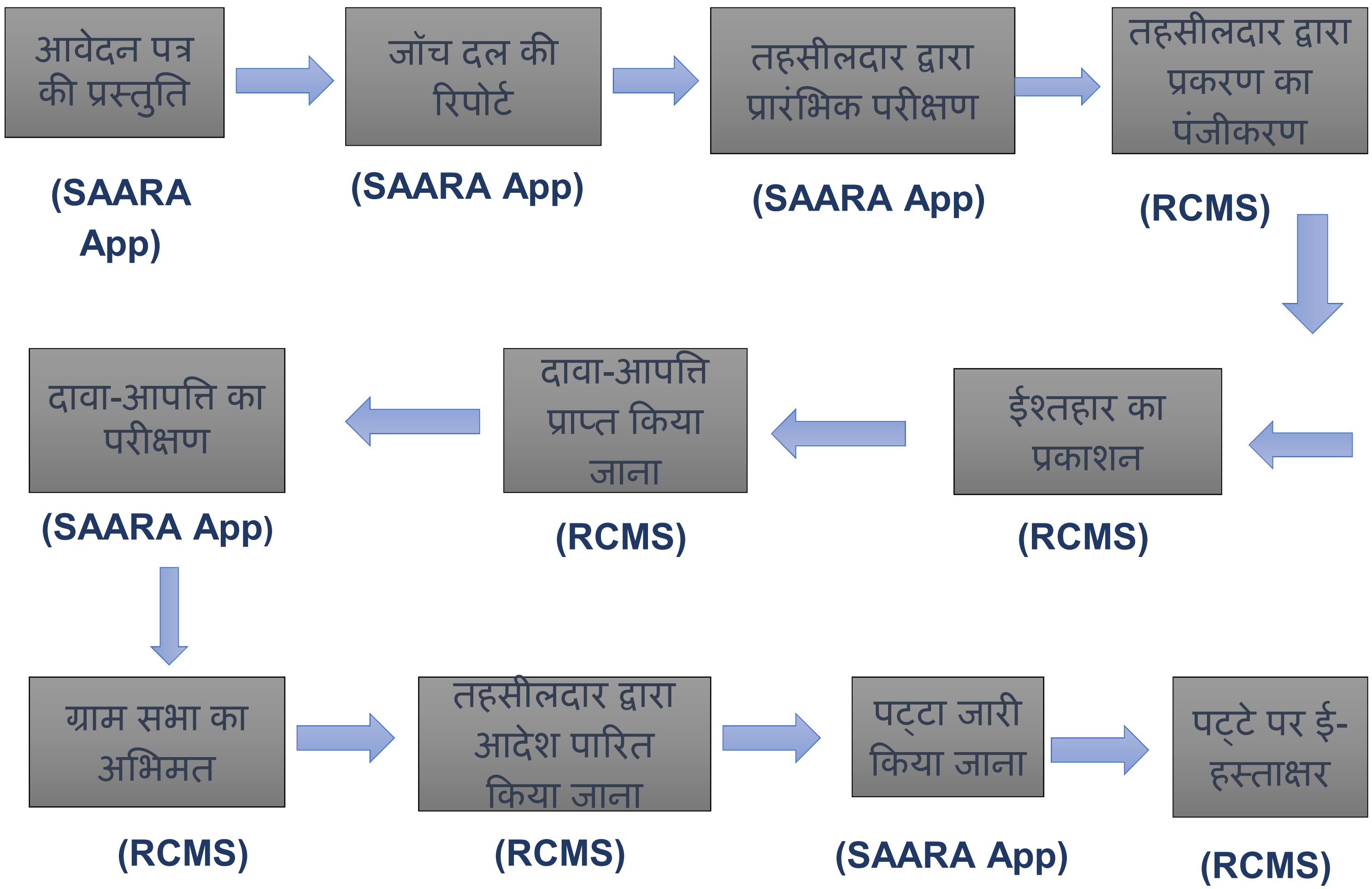

S.No.	Activity	Portal
1.	यूजर द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाएगा (प्ररूप क)	SAARA WEB Public
2.	पटवारी द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन दर्ज किया जाएगा (प्ररूप ख)	SAARA APP Patwari
3.	तहसीलदार लॉगिन से CMABY-प्रकरण दर्ज करें ऑप्शन में गाँव सिलेक्ट करने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध करें आबादी भूमि है या नहीं अगर नहीं तो अ-59 में प्रकरण दर्ज होकर कलेक्टर न्यायालय में चल जाएगा अगर हाँ तो अ-66 में प्रकरण दर्ज होगा	SAARA WEB Tehsildar
4.	खसरा सिलेक्ट करके सेव करें	SAARA WEB Tehsildar
5.	दोबारा गाँव सिलेक्ट करें –ड्रॉप डाउन से प्रकरण पंजीबद्ध चुने प्रकरण पंजीबद्ध करें बटन पर क्लिक करें उसके बाद Sent to RCMS बटन पर क्लिक करें	SAARA WEB Tehsildar
7.	RCMS के PO लॉगिन में प्राप्त प्रकरण उस प्रकरण को चुने पर क्लिक करके एक्सेप्ट करें (और प्रारम्भिक आदेश एवं अगली सुनवाई की ऐक्टिविटी लगाएं)	RCMS PO
8.	तहसीलदार लॉगिन से ड्रॉप डाउन से तहसीलदार स्तर पर प्रारम्भिक जांच चुने प्राप्त प्रतिवेदन आगे बढ़ाएं बटन पर क्लिक करें उसके बाद Sent to RCMS बटन पर क्लिक करें	SAARA WEB Tehsildar

S.No.	Activity	Portal
9.	प्रकरण सर्च करने के बाद उसमे **इश्तेहार दिनांक** और **नियत दिनांक** लगाकर केस **प्रोसेस करें**	RCMS READER
10.	केस प्रोसेस होने के पश्चात **प्रक्रियाधीन** प्रकरण में केस में **चुने** पर क्लिक करके आप **इश्तेहार डाउनलोड कर सकते हैं**	RCMS READER
11.	प्रकरण दर्ज करें ऑप्शन में गाँव को चुने फिर **GO** बटन पर क्लिक करें प्रकरण क्रमांक पर क्लिक करें सभी आवेदन की लिस्ट दिख जाएगी पटवारी यहाँ से दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं आपत्ति दर्ज करने के बाद **सेव करें** **डाटा को आगे बढ़ाएं** बटन पर क्लिक करें **Update** बटन पर क्लिक करें	SAARA WEB Patwari
12.	**CMABY**-**प्रकरण दर्ज करें**- गाँव चुने उसके बाद ड्रॉप डाउन से **दावा आपत्ति** चुने प्रकरण चुने **प्राप्त प्रतिवेदन आगे बढ़ाएं** बटन पर क्लिक करें उसके बाद **Sent to RCMS** बटन पर क्लिक करें	SAARA WEB Tehsildar
13.	प्रकरण सर्च करें – चुने पर क्लिक करें **आदेशार्थ के बाद अंतिम आदेश कर दें**	RCMS PO

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

- <u>**भूमि चयन:**</u>

-सर्वप्रथम रिक्त आवादी भूमि का चयन किया जाऐगा

-अपर्याप्त होने पर कलेक्टर नवीन आबादी घोषित करेंगे। (संहिता की धारा 237)

-आवश्यकता होने पर निजी भूमि का अर्जन किया जाऐगा। (संहिता की धारा 243(2))

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

- <u>तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि में गृहस्थलों के लिये उपलब्ध भूमि का अभिन्यास तैयार कराना :</u>

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखल रहित भूमि, आबादी तथा बाजिब-उल-अर्ज) नियम 2020 के भाग चार आबादी के नियम-12 के उप नियम (2) एवं (3) के अनुसार आबादी क्षेत्र में गृहस्थलों के लिये उपलब्ध भूमि का अभिन्यास (Layout) तैयार करायेगा

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

नियम-12 का उपनियम- 2

ऐसा अभिन्यास-

(क) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन बने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 या

(ख) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अधीन बने म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014

के उपबंधों के अधीन तैयार किया जायेगा

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

नियम-12 का उपनियम- 3

ऐसे मामलों में, जहां उपनियम (2) के उपरोक्त खण्ड क या ख में उल्लिखित नियम प्रवृत्त नहीं है, वहां

(क) किसी भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा

(ख) मुख्य सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 6 मीटर होगी तथा अन्य सड़के और गलियां चौड़ाई में 4.5 मीटर से कम की नहीं होगी

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

नियम-12 का उपनियम- 3

(ग) सड़के जहां तक हो सकें, सीधी होगी तथा इस प्रकार अभिन्यस्त की जायेंगी जिससे वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई हों

(घ) भूखण्डों की प्रत्येक पंक्ति के पीछे की ओर नालियों और सफाई का प्रबंध करने हेतु 4.5 मीटर की चौड़ाई में भूमि होगी

भू-अभिलेखों में अमल क्रमांक 352/11-भू.प्र./ग्वा./2022दिनांक 20.04.2022

ऐसे ग्राम जहां स्वामित्व योजना का कार्य होना है	ऐसे ग्राम जहां स्वामित्व योजना का कार्य पूर्ण हो गया है
1 **रक्षित आबादी में अमल की प्रक्रिया** – आबादी भूमि में तैयार किये गये ले-आउट अनुसार मौके पर खुली भूमि पर ड्रोन फ्लाई के पूर्व चूना मार्किंग की जाकर मौका अनुसार अभिलेख निर्माण किया जायेगा	1 **रक्षित आबादी में अमल की प्रक्रिया –** भूलेख पोर्टल में अमल करते समय आबादी के नक्शे में आवंटन अनुसार पटवारी द्वारा तरमीम की जायेगी
2 **नवीन आबादी भूमि में अमल की प्रक्रिया-** घोषित आबादी क्षेत्र में खुली भूमि पर ड्रोन फ्लाई के पूर्व चूना मार्किंग की जाकर मौका अनुसार अभिलेख निर्माण किया जायेगा	2 **नवीन आबादी भूमि में अमल की प्रक्रिया-** आवंटित भूमि के ले-आउट को चूना लाईन द्वारा भूमि पर चिन्हित किया जावेबा, उपलबधता अनुसार CORS रोवर के माध्यम से या ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा प्लाट का Georeference नक्शा निर्माण कर ले-आउट को भूलेख पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा

धन्यवाद

<u>प्रस्तुतकर्ता-दीपक पाण्डेय (सहायक राजस्व आयुक्त)</u>